

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 94 /2022

तारीख रजू :- 5-5-22

दावा बाबत तकासा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/190

उनवान  
रामवेली पुत्र मगनदास जाति जाटव निवासी रेवई तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली  
राजस्थान

बनाम  
शिवदास पुत्र रामदास जाति जाटव निवासी रेवई तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली  
राजस्थान

---वादी---

---प्रतिवादीगण---06

दिनांक	फर्द अहकाम
5.5.22	यह दावा वादी की ओर से श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.05.2022 को पेश हो।
31.5.2022	<p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 1 एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के तहसील प्रभू एट। प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 कावपूरा सूचना उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। पत्रावली करके पत्रावली दिनांक 19-9-2022 को पेश की।</p>
19.9.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 1 कावपूरा सूचना उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के तहसील प्रभू एट। प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 कावपूरा सूचना उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। पत्रावली करके पत्रावली दिनांक 19-9-2022 को पेश की।</p>
Not Pass	<p>उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के तहसील प्रभू एट। प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 कावपूरा सूचना उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। पत्रावली करके पत्रावली दिनांक 19-9-2022 को पेश की।</p>
19.9.22	<p>उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के तहसील प्रभू एट। प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 कावपूरा सूचना उपखण्ड अधिकारी को प्रतिकारी नं० 2 एवं 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। पत्रावली करके पत्रावली दिनांक 19-9-2022 को पेश की।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)